भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 60

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

प्रवासी मजदूरों के अधिकार

60. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू करने से पहले प्रवासी मजदूरों के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए थे;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थान पर वापिस लौटने के दौरान उक्त मजदूरों के हत/आहत होने की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(घ) सरकार द्वारा अब तक उक्त मजदूरों के लिए रोजगार-सृजन हेतु प्रदान की गई राहत और किए गए उपाय क्या हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त मजदूरों को हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): भारत ने, एक राष्ट्र के रूप में, कोविड-19 के प्रकोप के कारण उत्पन्न अप्रत्याशित मानवीय संकट तथा देश-व्यापी लॉकडाउन के विरुद्ध राष्ट्र की लड़ाई में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्व-सहायता समूहों, निवासी कल्याण एसोसिएशनों, चिकित्सा स्वास्थ्य व्यावसायियों, स्वच्छता कामगारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में प्रामाणिक एवं वास्तविक संगठनों के माध्यम से प्रतिक्रिया दिखाई है। प्रवासी कामगारों के वित्तीय संकट को कम करने के लिए और कोविड-19 महामारी के प्रकोप और देश लॉक-डाउन के कारण आर्थिक व्यवधानों से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता, खाद्य पैकेज और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले ही प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 का अधिनियमन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में नियोजित प्रवासी कामगारों को लागू नियम के अनुसार

जारी-2/---

सांविधिक मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय निवास, चिकित्सा सुविधाएं तथा रक्षात्मक वस्त्र आदि उपलब्ध कराए जाने होते हैं।

(ग): ऐसे किसी आंकड़ों का रख-रखाव नहीं होता है।

(घ) और (ङ): कोविड-19 के प्रकोप में गांवों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान में गांवों में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना पर तथा इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फोकस किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को घर के नजदीक काम दिलाने के लिए उनकी कौशल मैपिंग की जा रही है। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवरण के साथ 6 राज्यों के 116 जिलमें के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्यों का गहन और केन्द्रित कार्यान्वयन शामिल है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने निवास स्थानों को लौट आए प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं। इनमें से एक योजना आंगनवाड़ी सेवाएं हैं जो प्रवासी कामगारों के बच्चों के लिए विस्तारित की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 700 खाद्य संसाधन/परिरक्षण एवं अवसंरचना परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं जिनमें प्रवासी कामगारों को रोजगार मिलेगा।

प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माण हेतु चालू निर्माण-कार्यों/नए निर्माण-कार्यों की पहचान की है। इस्पात मंत्रालय ने भोजन के पैकेटों और चेहरे के मास्कों, दूध के पाउडर आदि के साथ प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों की सहायता की है।

जैव-प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी कृषि-जलवायु कटिबंध, 101 महत्वाकांक्षी जिलों सहित 150 जिलों को कवर करते हुए देश में 30 बायोटैक - किसान हब स्थापित किए हैं जो प्रवासी कामगारों को खेती के माध्यम से उनकी आजीविका कमाने और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती की नवाचारी पद्धतियों से उन्हें अवगत कराने में उनकी सहायता करेंगे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय तालाबंदी के दौरान मजदूरी से वंचित किए गए या छंटनी किए गए कामगारों की शिकायतें प्राप्त करने और संबोधित करने के लिए समस्त देश में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं।

न केवल गरीबों और प्रवासी कामगारों बल्कि उनके परिवारों/आश्रितजनों के लिए भी सतत रूप में राहत उपाय सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने में गरीबों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की। पैकेज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी लाभार्थियों में 80 करोड़ लोगों को नवंबर, 2020 तक प्रत्येक माह के अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो इच्छित दालें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(ii) 20.65 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को तीन माह तक 500/- रुपये प्रतिमाह की नकद सहायता दी गई है। महिला जन धन खाता धारकों को तीन किस्तों में 10,325 करोड़ रुपये, 10,315 करोड़ रुपये और 10,312 करोड़ रुपये क्रेडिट किए गए हैं।

(iii) उज्जवला योजना के अंतर्गत पंजीकृत 8 करोड़ गरीब परिवारों को अगले तीन माह तक 1 गैस सिलेण्डर प्रति परिवार प्रतिमाह नि:शुल्क मिलेगा।

(iv) मनरेगा मजदूरी को 182/- रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।

(v) 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब नि:शक्तों को 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की अनुग्रह वित्तीय सहायता दी जाएगी। लगभग 2.81 करोड़ वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और नि:शक्त व्यक्तियों को दो किस्तों में 2814.5 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।

(vi) 8.94 करोड़ लाभार्थियों को पीएम-किसान योजना की पहली किस्त के भुगतान के निमित्त 17,891 करोड़ की अग्रिम अदायगी की गई।

(vii) उपकर निधि से 2.03 करोड़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को 5000 करोड़ रुपये (लगभग) की नकद सहायता दी गई है।

(viii) उपकर निधि से 30 लाख भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को खाद्य पैकेज राहत भी दी गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सूखे राशन, जल, स्वच्छता और चिकित्सा सहायता के साथ विशेष आर्थिक जोन में बड़ी संख्या में कार्यरत प्रवासी कामगारों की सहायता की है। भारतीय रेल ने कामगारों की सुविधा के लिए 4611 से अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई हैं। 63.07 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओड़िसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में अवस्थित विभिन्न गंतव्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है। कामगारों को उनकी यात्रा के दौरान भोजन और पानी भी नि:शुल्क उपलब्ध कराए गए।

विभिन्न संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लाखों प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को देश में उनकी भौतिक अवस्थिति से सरोकार रखे बिना उनकी खाद्य सुरक्षा की पात्रताएं निर्बाध प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के लिए, सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना का कार्यान्वयन आरंभ किया है। इस योजना के कार्यान्वयन के साथ प्रवासी लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।

*****